डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Empowerment of Persons with Disabilities Department
Government of Uttar Pradesh

प्रेषक,

कुलसचिव,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ

सेवा में,

1. कुलपति	:	अध्यक्ष
2. विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के अधिष्ठातागण	:	सदस्य
3. प्रो0 एच0 एस0 झा, आचार्य	:	सदस्य
4. डॉ0 संजीव कुमार गुप्ता, सह आचार्य	:	सदस्य
5. डॉ0 आशीष कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य	:	सदस्य
6. परीक्षा नियंत्रक	:	सदस्य
7. प्राचार्य, टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ	:	सदस्य
8. प्राचार्य, हिन्द महाविद्यालय, बाराबंकी।	:	सदस्य
9. प्राचार्य, कल्याणं करोति, मथुरा।	:	सदस्य
10. प्राचार्य, विमला महाविद्यालय, लखनऊ।	:	सदस्य

पत्रांक : COE-287/पत्रा.COE-31/DSMNRU/2019–20 दिनांकः 10 दिसम्बर, 2019

महोदया/महोदय,

कृपया डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के परीक्षा समिति की पंचम बैठक दिनांक 23.11.2019 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोपरि।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

के परीक्षा समिति की 5वीं बैठक दिनाँकः 23 नवम्बर, 2019 का कार्यवृत्त

समय–	प्रातः 11:00 बजे
स्थान–	पंचम तल स्थित सभागार, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की 5वीं बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/5	**परीक्षा समिति की चतुर्थ बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/5	**परीक्षा समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 29.04.2019 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति की बैठक में उठाये गये उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं पर पुनः चर्चा करते हुए परीक्षा समिति की चतुर्थ बैठक में बिन्दुवार लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही से परीक्षा समिति को अवगत करा दिया गया एवं बिन्दु सं0 3/4, 4/4 एवं 5/4 में कतिपय संशोधन प्रस्तुत किये गये।
3/5	**विद्यार्थियों को दी जाने वाली डिग्री, अंकतालिका एवं परीक्षा संबंधित अन्य प्रपत्रों को डाक के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**
	निर्णयः–विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों को दी जाने वाली डिग्री, अंकतालिका आदि प्रपत्रों को यदि विद्यार्थी द्वारा डाक–सेवा के माध्यम से प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उससे राष्ट्रीय स्तर पर (देश की सीमा के अन्दर) शुल्क रू0 300 एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शुल्क रू0 500 (चालान या बैंक ड्राफ्ट) के माध्यम से प्राप्त किए जाने पर परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।
4/5	**मूल्यांकन की समीक्षा हेतु सक्षम स्तर पर एक समिति तथा स्क्रूटनी हेतु निर्धारित शुल्क में वृद्धि तथा पुर्नमूल्यांकन/चुनौती मूल्यांकन के संबंध मे।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि मूल्यांकन/समावेशी मूल्यांकन आदि विविध परीक्षा सम्बन्धी विनियमों में आवश्यक संशोधन हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विधि संस्थान, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं ए0के0टी0यू0 आदि में परिचालित परीक्षा नियमावली में उल्लिखित नियमों तथा इस विशेष प्रकृति के विश्वविद्यालय की अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में लागू परीक्षा विनियम, 2014 को अध्यावधिक/परिमार्जित किए जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में दिनांक 31 जनवरी, 2020 तक विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के अधिष्ठातागण सम्यक् प्रस्ताव परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने पर परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
	2. परीक्षा समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2020–21 से परीक्षा विनियम, 2014 के बिन्दु संख्या–8 पर Scrutiny System/Process के सम्बन्ध में विद्यार्थियों से ली जाने वाली धनराशि में संशोधन करते हुए प्रति प्रश्न–पत्र सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु रू0 100/–व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु रू0 200/–एवं मेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु रू0 500/– की धनराशि लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। Scrutiny System/Process कराने हेतु विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के तीस दिन के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होगा।

(प्रो0 आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

5/5	**आन्तरिक परीक्षा (मिड सेमेस्टर व एसाइण्टमेण्ट परीक्षा) को विशेष परिस्थिति में विद्यार्थियों के अनुरोध के दृष्टिगत् विभागीय स्तर पर पुनः सम्पन्न कराये जाने के संबंध में।**
	निर्णयः—विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों हेतु विभागीय स्तर पर आंतरिक परीक्षा (मिड सेमेस्टर/एसाइनमेण्ट प्रेजेन्टेशन) में विशेष कारण/परिरिथिति यथा स्वयं की बीमारी एवं विशेष व्यक्तिगत कारणों से प्रार्थना—पत्र के दृष्टिगत विद्यार्थियों की छूटी इन्हीं परीक्षाओं को पुनः सम्पन्न कराये जाने के क्रम में परीक्षा समिति की दिनाँक 19.04.2018 को आयोजित प्रथम बैठक के कार्यवृत्त बिन्दु संख्या—9/1 में लिये गये निर्णय में आंशिक बदलाव करते हुए निर्णय लिया गया कि "ऐसे विद्यार्थी जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है एवं जो किसी दुर्घटना/बीमारी अथवा किसी विशेष परिरिथिति के कारण आंतरिक परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर सके, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष एवं परीक्षा नियंत्रक की 03 सदस्यीय समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा विद्यार्थियों के शुल्क जमा किए जाने, उपस्थिति, शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता, मिड सेमेस्टर/एसाइन्मेन्ट में अनुपस्थिति का औचित्य आदि बिन्दुओं पर विचार करते हुए विद्यार्थियों के भविष्य एवं उनके हित के दृष्टिगत एक निश्चित अवधि में मिड सेमेस्टर/एसाइन्मेंट/प्रेजेन्टेशन परीक्षा का आयोजन विभागीय स्तर पर सम्पन्न कराया जायेगा।
6/5	**परीक्षाफल में सेमेस्टरवाइज Q.P.& C.G.P.A. को सम्मिलित किये जाने के संबंध में।**
	निर्णयः—विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप (Semester of Marks in Grade) में Semesterwise निर्गत किये जाने वाले परीक्षाफल के अन्तर्गत QP एवं CGPA को प्रस्तुत किया जाता है जिसके फलस्वरूप ही विद्यार्थी का परीक्षाफल (Status) स्पष्ट होता है। इस प्रकार निर्गत परीक्षाफल में परस्पर पूर्व—सत्र के QP और CGPA क्रमागत सेमेस्टर में यह उल्लेख आदि सम्मिलित न किये जाने के कारण व्यावहारिक रूप से परीक्षाफल के क्रास चेकिंग द्वारा मिलान, परीक्षण (यथा—संबंधित (Status) बैक पेपर सहित संबंधित परीक्षाफल प्रपत्रों की अभिलेखों को एक साथ रक्षित करते हुए मिलान किया जाता है) आदि करते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एवं अनावश्यक विलम्ब भी होता है उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रारूप में क्रमागत Semesterwise संबंधित QP एवं CGPA का निर्धारण सम्मिलित करने हेतु परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
7/5	**पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछे जाने के संबंध में।**
	निर्णयः—परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में बी0पी0ओ0 पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के BPO-203 (Community Rehabilitation and Disability Prevention) के वार्षिक परीक्षा के सम्बन्ध में अध्ययनरत् छात्रों द्वारा वार्षिक परीक्षा, 2019 के दौरान पूछे गये सवालों के पाठ्यक्रम से बाहर होने की शिकायत की गयी है जिसकी वजह से उक्त पाठ्यक्रम के अधिकतर विद्यार्थी इस विषय में वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं। उक्त के सम्बन्ध में परीक्षा समिति द्वारा प्रश्न—पत्रों के अनुशोधन (Moderation) की व्यवस्था सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के माध्यम से तत्काल किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रश्न—पत्रों के अनुशोधन (Moderation) की व्यवस्था प्रत्येक परीक्षा में सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही परीक्षा समिति द्वारा बी0पी0ओ0 पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष के BPO-203 (Community Rehabilitation and Disability Prevention) के वार्षिक परीक्षा के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस विषय के प्रश्न—पत्र के मूल्यांकन व परीक्षा प्रश्न—पत्र निर्माण, जो कि वाह्य परीक्षकों द्वारा ही किया गया है तथा जिसमें 50 फीसद प्रश्न—पत्र पाठ्यक्रम के बाहर से आये थे, पर विचार करने हेतु सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष एवं परीक्षा नियंत्रक की समिति गठित करने तथा समिति से अपेक्षित है कि विद्यार्थियों के भविष्य के दृष्टिगत सम्बन्धित विषय के परीक्षा परिणाम औसत प्राप्तांको के आधार पर मानक निर्धारित कर संशोधित परीक्षाफल निर्गत कर दिया जाए।
8/5	**1). परीक्षा के दौरान परीक्षा की व्यवस्था में लगे हुए अधिकारियों, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को प्रति पाली मानदेय निर्धारण के संबंध में।** **2). परीक्षा में कक्ष निरीक्षक के रूप में गेस्ट लेक्चरर द्वारा की जाने वाली ड्यूटी हेतु मानदेय धनराशि रू0 175/— प्रतिघण्टा (गैर—शैक्षिक कार्य हेतु) दिये जाने के सम्बन्ध में।**

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

	निर्णयः—(1) परीक्षा समिति को अवगत कराया गया विश्वविद्यालय में परीक्षाओं का आयोजन दो पालियों में किया जाता है। प्रथम पाली प्रातः 09:30 बजे से मध्याहन् 12:30 बजे तथा द्वितीय पाली अपराहन् 01:30 बजे से अपराहन् 04:30 बजे तक संचालित होती है, जिसमें श्रुति लेखक हेतु 01 घण्टे का समय अतिरिक्त दिया जाता है। इन परीक्षाओं की तैयारी हेतु शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) द्वारा 01 घण्टे से पूर्व विश्वविद्यालय (परीक्षा विभाग/परीक्षा केन्द्र) में उपस्थित होना पड़ता है। विश्वविद्यालय में अधिसत्र एवं सत्रांत परीक्षाओं के सफल आयोजन हेतु परीक्षा विभाग एवं परीक्षा की व्यवस्था में लगे अधिकारियों, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रति पाली के हिसाब से मानदेय/पारिश्रमिक के सम्बन्ध में परीक्षा समिति की तृतीय बैठक दिनाँक 18.03.2019 के निर्गत कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या–6/3 में शासनादेश दिनाँक 09.03.2019 को शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के परीक्षा सम्बन्धी कार्यो के लिये पुनरीक्षित दरों को इस विश्वविद्यालय में लागू शासनादेश दिनाँक 09.03.2019 के बिन्दु संख्या–02 पर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (प्रति परीक्षार्थी) हेतु पुनरीक्षित दर रू0 15.00 (सम्पूर्ण सेमेस्टर परीक्षा हेतु) को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी (नियमित/सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से कार्यरत्) कर्मचारी (प्रति परीक्षार्थी) के बीच वर्गीकरण करते हुए आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्णय प्रदान किया गया।
	(2) परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षक की कमी के दृष्टिगत् परीक्षा के दौरान अतिथि व्याख्याताओं से कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी लिए जाने तथा उक्त ड्यूटी के सापेक्ष मा0 विद्या परिषद की सप्तम् बैठक दिनाँक 08.08.2018 के बिन्दु संख्या–2/7 में गेस्ट लेक्चरर हेतु गैर अध्यापन कार्य के लिये अनुमोदित धनराशि रू0 175/– प्रतिघण्टे की दर से भुगतान किये जाने पर सहमति प्रदान करते हुए परीक्षा विभाग को सम्यक् प्रस्ताव आगामी वित्त समिति की बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।
9/5	**CGPA एवं SGPA और क्रेडिट सिस्टम के सम्बन्ध में डॉ0 अशोक कुमार मिश्रा, सहायक आचार्य, भौतिक विज्ञान विभाग का प्रस्तुतिकरण कराये जाने के संबंध में।**
	निर्णयः—परीक्षा समिति के सम्मुख CGPA एवं SGPA और क्रेडिट सिस्टम के सम्बन्ध में डॉ0 अशोक कुमार मिश्रा, सहायक आचार्य, भौतिक विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया, जिस पर समिति के सदस्यों द्वारा चर्चा करते हुए मा0 कुलपति महोदय की अनुमति से परीक्षा नियंत्रक को एक समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया।
10/5	**मिड सेमेस्टर टेस्ट/मौखिकी/प्रायोगिक परीक्षा तथा पूर्व में आयोजित सत्रान्त परीक्षाओं में अनुपस्थिति एवं अनुतीर्ण विषयों/पेपरों में स्पेशल बैक पेपर परीक्षा कराये जाने के संबंध में।**
	निर्णयः—परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय में विगत वर्षों में अध्ययनरत् रहे ऐसे विद्यार्थी जिनका किसी विषय/प्रश्न–पत्र में SGPA/CGPA 5.6 से कम हो अथवा C ग्रेड प्राप्त किया हो अथवा अनुत्तीर्ण (F ग्रेड) हो, को उनके भविष्य के दृष्टिगत छात्रहित में मिड सेमेस्टर टेस्ट/मौखिकी/प्रायोगिक परीक्षा तथा पूर्व में आयोजित सेमेस्टर परीक्षाओं में अनुपस्थिति एवं अनुत्तीर्ण विषयों/पेपरों हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए समस्त विद्यार्थियों की स्पेशल बैक पेपर परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्णय लिया गया। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णीत हुआ कि यदि किन्हीं विद्यार्थियों को सेमेस्टर टेस्ट/मौखिकी/प्रायोगिक परीक्षा किसी भी कारणवश छूट गयी है, उन विद्यार्थियों हेतु सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर समिति का गठन करते हुए चिन्हित प्रकरणों को नियमानुसार अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए मिड सेमेस्टर टेस्ट/मौखिकी/प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करायी जाए। परीक्षा समिति द्वारा स्पेशल बैक पेपर परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि "सम्बन्धित प्रश्न–पत्र में इस शर्त के साथ पुनः बैक पेपर में प्रतिभाग करने की अनुमति दी जाएगी कि विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया जाने वाला परीक्षा परिणाम अन्तिम व मान्य होगा। इस आशय का शपथ–पत्र संबंधित छात्र एवं उनके अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे समस्त विद्यार्थियों को दिया जाने वाला यह अन्तिम अवसर होगा और यह भविष्य के लिये दृष्टान्त नहीं माना जाएगा।" परीक्षा समिति द्वारा स्पेशल बैक पेपर परीक्षा के सम्बन्ध में निम्नवत् शुल्क लागू किए जाने का निर्णय लिया गया :–

(... सिंह)

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

	1. थ्योरी पेपर :– रू0 500/– प्रति प्रश्न–पत्र। 2. प्रायोगिक परीक्षा (आन्तरिक एवं वाह्य) :– रू0 1000/– प्रति प्रश्न–पत्र। 3. आंतरिक परीक्षा (मिड सेमेस्टर/प्रोजेक्ट/प्रजेन्टेशन/मौखिकी):–रू0 250/–प्रति प्रश्न–पत्र।
11/5	**सेमेस्टर/बैक पेपर परीक्षा दिसम्बर, 2019 हेतु अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा माह दिसम्बर, 2019 में प्रस्तावित अधिसत्र एवं बैक पेपर परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत अग्रिम के रूप में धनराशि रू0 04.00 लाख का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया कि पूर्व में परीक्षा हेतु निर्गत अग्रिम धनराशि रू0 03.00 लाख का समायोजन दिसम्बर, 2019 में प्रस्तावित अधिसत्र एवं बैक पेपर परीक्षा के पूर्व प्रस्तुत कर दिया जाए।
12/5	**विद्यार्थियों को अंक तालिका/उपाधि की द्वितीय–प्रति उपलब्ध कराने तथा शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनकी मूल अंकतालिका/उपाधि खो जाने की दशा में द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र, एफ0आई0आर0 से सम्बन्धित प्रपत्र एवं शपथ–पत्र (शपथ–पत्र इस आशय का कि यदि खोई हुई अंकतालिका/उपाधि की मूल प्रति वापस प्राप्त होने पर उसका गलत उपयोग किसी भी दशा में न करते हुए द्वितीय प्रति विश्वविद्यालय में वापस की जायेगी) प्राप्त करते हुए शुल्क के रूप में धनराशि रू0 1000/–निर्धारित करते हुए द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने पर निर्णय लिया गया।
13/5	**अंक–पत्र/उपाधि के सत्यापन हेतु सरकारी संस्थाओं एवं राज्य बी0सी0आई0 को सत्यापन शुल्क में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को सरकारी नौकरियों में उनके अंक–पत्र/उपाधि के सत्यापन हेतु सरकारी संस्थाओं/विभागों/संगठनों को सत्यापन शुल्क से मुक्त रखने तथा गैर सरकारी/अन्य संस्थानों से अंक–पत्र/उपाधि के सत्यापन हेतु शुल्क के रूप में धनराशि रू0 500/– निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।
14/5	**अंक–तालिका/उपाधियों का प्रारूप निर्धारित करते हुये अंक–तालिका/उपाधियों को विश्वविद्यालय में मुद्रित किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में अंक–तालिका/उपाधियों का एक प्रारूप निर्धारित करते हुए सुरक्षा की दृष्टि से Sl.No./QR/BAR Code/Special Paper इत्यादि हेतु मशीनों के क्रय किये जाने तथा विश्वविद्यालय में अंक–तालिका/उपाधियों के मुद्रण करने हेतु रू0 2.00 लाख की धनराशि की व्यवस्था परीक्षा विभाग के लिये किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उक्त सहमति वित्त समिति के निर्णय के अधीन होगी।
15/5	**यदि किसी पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत या उससे अधिक विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षाफल घोषित होने से पूर्व ही समिति का गठन करते हुए परीक्षा नियंत्रक द्वारा मा0 कुलपति महोदय को संज्ञानित कराते हुए पुर्न–मूल्यांकन कराये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के मूल्यांकनोपरान्त किसी भी पाठ्यक्रम हेतु घोषित परीक्षा परिणाम में यदि 50 प्रतिशत या उससे अधिक विद्यार्थी अनुतीर्ण होते हैं, तो परीक्षाफल घोषित होने से पूर्व ही समिति का गठन कराते हुए समिति की अनुशंसा प्राप्त करने के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक द्वारा मा0 कुलपति महोदय के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
16/5	**मिड सेमेस्टर/प्रजेन्टेशन एसाइनमेण्ट के अंकों में अत्यधिक/कम अंक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–विश्वविद्यालय में विभागीय स्तर पर सम्पन्न की जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिड सेमेस्टर/प्रजेन्टेशन एसाइनमेण्ट/डेजर्टेशन आदि परीक्षाओं में किसी भी विद्यार्थी को 40 प्रतिशत से कम अथवा 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्रदान करने पर सम्बन्धित शिक्षक द्वारा यथोचित कारण/टिप्पणी का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

(प्रो0 आर0के0पी0 सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

17/5	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।
	(1) विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के परीक्षा शुल्क को परीक्षा नियंत्रक के कोष में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।
	निर्णयः—परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों से प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के परीक्षा शुल्क को परीक्षा नियंत्रक के कोष में जमा कराये जाने हेतु निर्णय लिया गया।
	(2) विश्वविद्यालय एवं उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science) विषय की परीक्षा के सम्बन्ध में।
	निर्णयः— परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त, विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में पर्यावरण विज्ञान (Environmental Science) विषय की परीक्षा सम्बन्धित पाठ्यक्रम के तृतीय सेमेस्टर में अनिवार्य रूप से कराये जाने पर निर्णय लिया गया।

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ